फर्द अहकाम
(नियम–26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट गोविन्दगढ़ (अलवर) राज॰

प्रकरण सं॰ . . . . तारीख रजू 23.11.2021 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा॰का॰अधि॰

. . . . विजन . . . . बनाम . . . . मुखराम . वगै॰ . . . .

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म जारी हुआ
23.11.2021	आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा॰का॰अधि॰ मूल वाद के साथ वकील प्रार्थी ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर पेश किया तथा अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करने का निवेदन किया। हमने वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीखे पेशी दिनांक 22/12/2021 तक पावन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2222/680 वाके ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ़ में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को पावन्द किया जाता है। यदि उक्त आदेश के सम्बन्ध में कोई आक्षेप हो न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। क्यों ना उक्त आदेश ताफैसला दावा स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 22/12/2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	
22/12/21	वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण तलब होकर पत्रावली दिनांक 10/1/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	
10/1/22	वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण तलब होकर पत्रावली दिनांक 9/2/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	28 12.1.22 मुखराम दि. [illegible]
9.2.22	वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1,2,3 उपस्थित। नकल दिलाई गई। पत्रावली वास्ते जवाब हेतु। तलबी नं. 4 दिनांक 24.2.22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट गोविन्दगढ़ (अलवर)	
24/2/22	वकुलाए फरीकेन उप०/P.O. साहब ....[illegible]........ पत्रावली दिनांक 24/3/22 को पेश हो मैज़ि.	

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी मुकाम आप गोविन्दगढ़ (अलवर)

विजन बनाम मुखराम वगैरह

...हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो जारी हुआ
	11.1.24 पत्रावली पेश। P.O. साहब ....V.R.S.Y.... केम्प में व्यस्त ....है। पत्रावली दिनांक ....09.2.24.... को पेश हो। [signature] रीडर 09.2.24 पत्रावली तलब हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। वकील व उनके प्रार्थी को बार-बार आवाज दिलायी गई। कोई उपस्थित नहीं आया। अत: प्रार्थना पत्र -212 RTA वकील व उनके प्रार्थी की अदम हाजिरी-अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०	